प्रेस नोट

तिथि-14-10-2025

राजकीय महाविद्यालय चौकीमन्यार में महिला सेल द्वारा "मोटर वाहन नियम" तथा "मुख्य महिला सरंक्षण कानून" विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य भारत में मोटर वाहन नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और बीमा की अनिवार्यता, यातायात संकेतों का पालन और सीट बेल्ट, हेलमेट जैसे सुरक्षा उपकरणों का उपयोग शामिल है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एडवोकेट श्री रमेश चन्द सारथी ने रिसोर्स पर्सन के रूप में अपना मार्गदर्शन किया।श्री रमेश चन्द सारथी ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़े दंड, जैसे कि नशे में गाडी चलाने या तेज गति पर भारी जुर्माना तथा डिजिटल दस्तावेज़ पर प्रकाश डाला। रिसोर्स पर्सन ने इसके अतिरिक्त महिला सुरक्षा कानून के अन्तर्गत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के बारे में जागरूक किया। इस आयोजन में प्राचार्य डॉ. बलविंदर सिंह राणा ने अपने सन्देश में यातायात नियम तथा शिक्षा के महत्व को तथा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें सशक्त बनाने के लिए उचित कदम उठाने पर बल दिया। वूमन रिड्रेस्ल सेल की अध्यक्ष प्रो. कविता कौशल ने विद्यार्थियों को एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में प्राध्यापक वर्ग से प्रो. कविता कौशल, डॉ. राम कुमार नेगी, डॉ. राम सिंह, डॉ. सगुन डोगरा और महाविद्यालय के समस्त कार्यालय स्टाफ भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

Bhrana
14.10.2025

Principal
GDC Chowki Maniar
Distt. Una (H.P.) Pin:-1743..